हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा का स्तर उच्च श्रेणी का हो। साथ ही डब्ल्यूएचओ द्वारा जनसंख्या के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति के नियम को भी लागू किया जा सके।

—— डा. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री

## स्मृति में लगा ... का बाजार

नबी)। त्योहारों का ... एक ओर नवरात्रों की ...गों में खासा उत्साह है

# ढाई साल में 1.42 लाख मरीज

...ना
...उनकी पत्नी श्रीमती
...सी, प्रताप नगर,
...-1, ईस्ट दिल्ली-
...आलम व पुत्रवधू
...प्रताड़ित करने के
...चल सम्पत्ति से
...छेद कर लिए हैं।
...न-देन हेतु मेरे
...मेदार नहीं होगा।
... 9873411012
डी-

...e
...rmation that my
...Charan and his
...88, 3rd Floor,
...k-A, Rajapuri,
...Delhi-110059,
...k down all the
...namely Akash
...from their all
...roperties either
...uated all over
..., disobedience
...client will not
...eir act which
...gh (Advocate)
...e Courts New
...60) D-

...e
...Garg aged about-
...l Garg resident of
...3 Subhash Park,
...being anguished
...Gupta Son's wife-
...aster Kush Garg,
...from his movable
... That my above
...tion, connection,
...bedient and have
...f my client & his
...ulted, neglected,
...ed towards my
...one dealing with
...sk, cost & liabil-
... in any manner-
...al (Advocate)
...s Hazari Courts,
...511) D-

...e
...ned that my
...in and Smt.
...92, Galil No.
... Builder Wali
...ve severed all
... Hussain and
...e of their acts

नई दिल्ली(एसएनबी)। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरेआम पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी आजाद सिंह को पार्टी ने शुक्रवार को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही पार्टी की नेता एवं आजाद सिंह की पत्नी सरिता सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया। प्रदेश के कार्यालय मंत्री गिरीश सचदेवा ने शुक्रवार को इस आशय का एक पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निर्देश पर दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में एक बैठक थी। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों नेता (पति-पत्नी) प्रदेश कार्यालय आए थे। आरोप है पत्नी सरिता सिंह को देखकर आजाद सिंह भड़क गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। घटना के थोड़ी ही देर बाद पार्टी ने दोनों को पार्टी की जिम्मेदारियों से हटा दिया था और मामले की जांच के आदेश दिये थे। आजाद सिंह महरौली जिले के अध्यक्ष थे और सरिता सिंह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजक थीं। सरिता सिंह दक्षिणी दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं।

## केंद्रीय विद्यालय में टाइम बम की झूठी सूचना देना वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एसएनबी)। नई दिल्ली जिला पुलिस ने गोल मार्केट स्थित केंद्रीय विद्यालय में टाइम बम रखा होने की झूठी सूचना देने वाले गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम शारिक अख्तर निवासी सदर बाजार हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने झगड़े का बदला लेने को पड़ोसी को फंसाने के लिए उसके नाम पर फर्जी तरीके से सिम लेकर उस नंबर से केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक को वाट्सएप पर सूचना भेजी थी।

> पड़ोसी से बदला लेने को उसके नाम पर फर्जी सिम लेकर किया था मैसेज
>
> पुलिस ने दबोचा

शारिक केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए लाइजनिंग एजेंट का काम करता है। जिले के डीसीपी ईश सिंघल ने बताया कि गोल मार्केट स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल पंकज कुमार ने तीन अक्टूबर को पुलिस को विद्यालय में बम होने की सूचना संबंधी जानकारी दी थी। एक अज्ञात शख्स ने विद्यालय के शिक्षक कालू राम के मोबाइल फोन पर वाट्सएप पर सूचना भेजी थी। मैसेज में लिखा था कि केंद्रीय विद्यालय में टाइम बम रखा गया

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-KJ-35, कविनगर, गाजियाबाद के अभिलेखों में श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री देवेन्द्र मोहन मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता एवं श्रीमती अनीता मित्तल पत्नी श्री हरीश मोहन मित्तल का नाम प्राधिकरण में संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसकी फ्री-होल्ड दिनांक 16/03/1996 को निष्पादित हो चुकी है। श्रीमती शारदा देवी का स्वर्गवास दिनांक 29/08/2012 को एवं श्री देवेन्द्र मोहन मित्तल का स्वर्गवास दिनांक 16/09/1999 को हो गया है। श्री देवेन्द्र मोहन मित्तल मृतक की पत्नी श्रीमती रश्मि मित्तल ने प्राधिकरण अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराये बिना ही दिनांक 22/10/1999 को भूखण्ड (एक तिहाई भाग) का विक्रय श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 श्री धनीराम को कर दिया। नाम दर्ज से पूर्व ही क्रेता श्री ओम प्रकाश गुप्ता का देहान्त दिनांक 06/09/2003 को हो गया है। भूखण्ड की आवंटी श्रीमती शारदा देवी व मध्यवर्ती क्रेता श्री ओम प्रकाश गुप्ता का स्वर्गवास हो जाने के कारण मृतक के पुत्र श्री हरीश मोहन मित्तल द्वारा शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, व अन्य वारिसानों का (अनापत्ति) शपथ पत्र, पहचान पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के खाते में अपना नाम पूर्व से सह आवंटी श्रीमती अनीता मित्तल के नाम के साथ संयुक्त रूप से दर्ज कराने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति ...

गाजियाबाद का आवंटन श्री हरीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लाला गिरधारी लाल के नाम है। श्री हरीश चन्द गुप्ता का देहान्त दिनांक 26/11/2009 को एवं मृतक की पत्नी श्रीमती शारदा गुप्ता का देहान्त दिनांक 10/10/2004 को एवं मृतक के विवाहित पुत्र श्री प्रबोध चन्द गुप्ता का देहान्त दिनांक 28/11/2012 को हो जाने के कारण मृतक के पुत्रगण श्री प्रवीन गुप्ता, श्री विपिन चन्द्र एवं मृतक श्री प्रबोध चन्द्र गुप्ता की पत्नी श्रीमती माला (जो स्व0 श्री हरीश चन्द गुप्ता की पुत्रवधु है) द्वारा शपथ पत्र, पहचान पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के खाते में अपना नाम संयुक्त रूप से दर्ज कराना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति कार्यालय में दर्ज कराने का कष्ट करे अन्यथा नियमानुसार प्राधिकरण अभिलेखों में मृतक श्री हरीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लाला गिरधारी लाल के नाम के स्थान पर श्री प्रवीन गुप्ता, श्री विपिन चन्द्र पुत्रगण स्व0 श्री हरीश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती माला पत्नी स्व0 श्री प्रबोध चन्द्र गुप्ता एवं पुत्रवधु स्व0 श्री हरीश चन्द गुप्ता का नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर लिया जायेगा। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मुजाधि/यांत्रिक=124 प्रबन्धक/गोरखपुर
यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं. 09794845955 पर एसएमएस करें।
ट्रेनों में बीड़ी /सिगरेट न पियें

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
CIN: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 1ए, सैक्टर-16ए, नोएडा -- 201301 (उ.प्र.)
दूरभाष: +91-120-4090500, फैक्स: +91-120-4090599
ई-मेल: investor@jubifood.com
वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक **मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019** को अन्य विषयों के साथ-साथ, सितम्बर 30, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जायेगी। उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
हस्ता/-
मोना अग्रवाल
कम्पनी सचिव

दिनांक: अक्तूबर 04, 2019
स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

एन. आई.टी.स. 230-TRS-GZB-2019-20-04-RT दिनांक 03.10.2019

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता-चल स्टाक, उत्तरी रेलवे, दिल्ली मंडल, गाजियाबाद द्वारा निविदा क्रमांक 230-TRS-GZB-2019-20-04-RT के आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्य का विवरण | 'Disassembly and cleaning work of 300 Gear Box of WAP-5 three phase locomotive' |
| 2. | कार्य की अनुमानित लागत | ₹ 6,72,600/- |
| 3. | धरोहर राशि | ₹ 13,500/- |
| 4. | निविदा दस्तावेज की कीमत | ₹ 2,360/- |

| क्र. सं. | कार्य का नाम | खाता शीर्ष | निविदा राशि | अनुमानित राशि | धरोहर राशि | कार्य पूर्णता अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वार्ड सं. 68 कोहाट एंकलेव में संदेश विहार में म.सं. 109 से 92 तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा रोड का सुधार/विकास। एफ.टी.सी. कोड: 14/66/XL/VIII-S(d) | XL-VIII-S(d) | ₹27,27,174 | ₹29,48,900 | ₹54550/- | 3 माह |
| 2. | वार्ड सं. 68 कोहाट एंकलेव में संदेश विहार में म.सं. 201 से 74 तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा रोड का सुधार/विकास। एफ.टी.सी. कोड: 14/66/XL/VIII-S(d) | XL-VIII-S(d) | ₹32,67,893 | ₹35,33,600 | ₹65400/- | 3 माह |
| 3. | वार्ड सं. 68एन कोहाट एंकलेव में लोक विहार बी-ब्लॉक में म.सं. 154 से 380 तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा रोड का सुधार/विकास। एफ.टी.सी. कोड: 14/66/XL/VIII-S(d) | XL-VIII-S(d) | ₹46,13,665 | ₹49,88,700 | ₹92300/- | 3 माह |
| 4. | वार्ड सं. 68 कोहाट एंकलेव में संदेश विहार में म.सं. 122 से 74 तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा रोड का सुधार/विकास। एफ.टी.सी. कोड: 14/66/XL/VIII-S(d) | XL-VIII-S(d) | ₹32,67,893 | ₹35,33,600 | ₹65400/- | 3 माह |

टिप्पणी 1 : क्र.सं. 1 से 4 तक उपरोक्त प्रत्येक कार्य के लिए निविदा का मूल्य : ₹500/- है और दरों की वैधता अवधि 6 माह है।

टिप्पणी 2 : दि.न.नि. के अनुमोदित एवं योग्य ठेकेदारों के लिए बोली हेतु यह निविदा वेबसाइट http://mcdetenders.com पर भी उपलब्ध है। ईई(एम-II)/केपीजेड के पास किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।

आर.ओ.सं. 114/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधिशासी अभियंता (एम-II)केपीजेड

earc

एनकोर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी)

एनकोर एआरसी कार्यालय पता: 5 वां तल, प्लॉट नं. 137 सेक्टर 44 गुरुग्राम -122002 हरियाणा

कब्जे की सूचना

जबकि (Whereas) एनकोर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (ईएआरसी) ने श्री डील चन्द्र त्यागी व श्रीमती सुनीता त्यागी को वित्तीय सम्पत्ति में मेग्मा हाउसिंग फाईनेंस के सभी अधिकार, शीर्षकों और हितों को प्राप्त किया है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन नियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) की धारा 5 के अधीन असाईनमेंट अनुबंध की दिनांक 31.12.2018 के अनुसार मेग्मा हाउसिंग फाईनेंस द्वारा सृजित हुए हैं।

और जबकि, (Whereas) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेग्मा हाउसिंग फाईनेंस के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 18.01.2017 को जारी किया, जिसमें ऋणियों श्री डील चन्द्र त्यागी एवं श्रीमती सुनीता त्यागी को नोटिस में उल्लेखित राशि रू. 20,63,222/- (रूपये बीस लाख तरेसठ हजार दो सौ बाईस मात्र) दिनांक 28.12.2016 तक का भुगतान, इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सामान्यतया यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 01.10.2019 को ले लिया है।

ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस संपत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार रू. 22,53,064.81 (रूपये बाईस लाख तरेपन हजार चौसठ एवं इक्यासी पैसे मात्र) दिनांक 25.12.2018 तक एवं अनुबंध की दर ...